फर्द अहकाम

धीरी देवी बनाम कमला व अन्य

प्रार्थना पत्र संख्या: 334/2024

ांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
0.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम 1956 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर बहस प्रार्थी प्रार्थना पत्र में सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजी कृषि भूमि खसरा न0 479/419 एवं 481/282 कुल किता 2 वाके ग्राम टोडी रमजानीपुरा पटवार हल्का जगतपुरा भू. अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र लुनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर का अप्रार्थी सख्या दो से सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के अनुसार पुलिस हिमदाद से पत्थरगढी किये जाने के आदेश अप्रार्थी सख्या दो को फरमाने की कृपा करे। बहस प्रार्थी अधिवक्ता एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी तहसीलदार सांगानेर को सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र पेश करे। तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी की ओर से पेश सीमाज्ञान प्रार्थना पत्र के आधार पर वाके ग्राम टोडी रमजानीपुरा पटवार हल्का जगतपुरा भू. अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र लुनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित प्रार्थी की आराजी कृषि भूमि खसरा न0 479/419 एवं 481/282 की सीमाज्ञान कर, उक्त सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी कायम की जावें। आवश्यकता होने पर पुलिस इमदाद की सहायता ली जावे। निर्णय आज दिनांक 18.10.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Himmat Singh Date: 2025.04.30 15:43:09 IST Reason: SelfAttested (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर	